

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/136/2021

रजू दिनांक: 01.09.2021

रजि0 न0 2021/265

अपीलार्थी:-

श्री भागीरथ यादव पुत्र शुभराम यादव,
निवासी ग्राम-पोस्ट कारोड़ा तहसील
बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 27.09.2021

- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
 - अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.09.2021 को उपस्थित आवे।
 - अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1822 दिनांक 24.09.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि संबंधित प्रमारी अधिकारी (मू.अ.) कलेक्टर, अलवर के पत्र सं. मू.अ./सामा./2021/19182 दिनांक 23.9.2021 के माध्यम से 2 पृष्ठिय सूचना प्राप्त कर मूल ही नियमानुसार अविप्रमाणित कर निःशुल्क ही अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है।
 - अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराई जाना अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
 - उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
 - निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
 - पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(नन्नुमल पहाड़िया)
जिला कलेक्टर, अलवर